


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम-1971 एवं उक्त नियमों में प्रसारित संशोधित नियमों के अन्तर्गत श्री सुदर्शन गौड़, व्या० गणित, राउमावि, छापरीकलां (मौलासर) नागौर को जिला शिक्षा अधिकारी (मा-द्वितीय) नागौर की अभिशंषा एवं आवेदन पत्र के आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से एम.एड. 2018-20 सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है:-

1. नियमानुसार अर्जित अवकाश ही देय होंगे। अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा। अध्ययन पर होने वाला व्यय आशार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
2. डिग्री यू.जी.सी. के मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक है। इसकी सुनिश्चिता की जिम्मेदारी कार्मिक स्वयं की होगी।
3. विद्यालय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने अथवा शाला प्रधान एवं नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिकूल अभिमत करने पर यह अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 26-6-18

क्रमांक: शिविरा / माध्य / संस्था / सी-3 / एम.एड.स्वीकृति / 17

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, अजमेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय) नागौर
3. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छापरीकलां (मौलासर) नागौर
4. श्री सुदर्शन गौड़, व्या. गणित, राउमावि, छापरीकलां (मौलासर) नागौर
5. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर